

20.02.18

2.53 PM

मोहन

20-02-18



प्रस्तुति 26

(नियम 4 के देखिए)

गटाना वाडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं धर्मज्ञान मुमुक्षु पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री हुलाला राजा आयु 37 वर्ष, जो मीहूला रामनारायण कुमार का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सन्दर्भिण्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- (1) मैं कानून व्यवस्था (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (**जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम गटाना वाडा (पहसु) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) मैं भाग सं० 196 के क्रम सं 276 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा /मेरे 9852663952 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं हैं/हैं और X मेरा इमेल पता (यदि कोई हो) है तथा (i) (ii) (iii) मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते(यदि कोई हो) है/हैं।
- (4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथ्ति:

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
	<u>धर्मज्ञान मुमुक्षु</u>	<u>DHMPK 60866</u>		
1.	स्वयं		५३२७३	
2.	पति या पत्नी		८५५८८८	
3.	आश्रित-1		८४२८८८	
4.	आश्रित-2		८४२८८८	
5.	आश्रित-3		८४२८८८	

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया हैं/किए गए हैं।

(क)	मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	X
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	X
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	X
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	X
(ङ.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	X

(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वालों न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं/हैं	<input checked="" type="checkbox"/> नहीं
(ii)	निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-	

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<input checked="" type="checkbox"/> लाइन ही
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	<input checked="" type="checkbox"/> नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन(आवेदनों)(यदि कोई हो) के ब्यौरे	<input checked="" type="checkbox"/> लाइन ही

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश किया गया है/नहीं दिया गया है:

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	<input checked="" type="checkbox"/> लाइन ही
(ख)	न्यायालय(न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	<input checked="" type="checkbox"/> लाइन ही
(ग)	अधिरोपित दंड	
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिष्ठिति	<input checked="" type="checkbox"/> नहीं

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2—जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा

सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3—सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4—यहां आश्रित का यही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 — रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	प्रति या पल्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	100/-	50,000/-			
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	✗	✗	✗	✗	50,000/-
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम					9,000/-
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/आग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम					3,000/-
(vi)	मोटररायन/वायुयान/याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)					3,000/-
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)					3,000/-
(viii)	कोई अन्य आस्तियों जैसे कि दावों/हित का मूल्य					3,000/-
(ix)	समग्र कुल मूल्य					3,000/-

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आन्त्रित-1	आन्त्रित-2	आन्त्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)					झूमा'
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					झूमा'
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					झूमा'
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					मानवी'
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					मानवी'
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					झूमा'
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थित (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)					झूमा'
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					मानवी'
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					झूमा'
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					झूमा'
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					मानवी'
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					झूमा'
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					झूमा'
(iii)	वाणिज्यिक भवन(अर्पाटमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)					झूमा'
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य				
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थित (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याएँ क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)				
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य				
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)				
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य				

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य दायित्व					
	दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य					
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य					

	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य				
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य				
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य				
	आय-कर शोध्य				
	धनकर शोध्य				
	सेवाकर शोध्य				
	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य				
	विक्रय कर शोध्य				
	कोई अन्य शोध्य				
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग				
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें				

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं *परंजपती बाजार बाजार उत्तरी, राजापालाम तहानपुर*
 (ख) पति या पत्नी

" (9क) आय के (स्त्रोतों) के ब्यौरे :

(क) स्वयं
 (ख) पति या पत्नी

(10) मेरी शैक्षिक अहता नीचे दिए अनुसार है :-

११४२

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए व्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कु० <u>पृष्ठनाम लगाएँ</u>				
2.	डाक का पूरा नाम	<u>2माम नाम, ग्राहनावाड़</u>				
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>216, ग्राहनावाड़, विहार</u>				
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	<u>स्वतंत्र</u>				
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	✗				
	(ii) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	✗				
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की घारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएं]	✗				
7. का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी					
	(ख) पति या पत्नी					
	(ग) आश्रित					
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)					
	विवरण	स्वयं	पति-पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)					
ख.	स्थावर आस्तियां					
	(i) स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत					
	(ii) क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागत हो)					
 की					
	(iii) अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)					
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9.	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)					
	(ii) बैंक/वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					

	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं						
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)						
(ii)	बैंक / वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	मद्दम बहुरूप नियमों के अन्तर्गत 2015 में जून 2016 के अन्तर्गत हुए भौतिक 100,000 रुपये से अधिक	मद्दम बहुरूप नियमों के अन्तर्गत 2015 में जून 2016 के अन्तर्गत हुए भौतिक 100,000 रुपये से अधिक	मद्दम बहुरूप नियमों के अन्तर्गत 2015 में जून 2016 के अन्तर्गत हुए भौतिक 100,000 रुपये से अधिक	मद्दम बहुरूप नियमों के अन्तर्गत 2015 में जून 2016 के अन्तर्गत हुए भौतिक 100,000 रुपये से अधिक	मद्दम बहुरूप नियमों के अन्तर्गत 2015 में जून 2016 के अन्तर्गत हुए भौतिक 100,000 रुपये से अधिक	मद्दम बहुरूप नियमों के अन्तर्गत 2015 में जून 2016 के अन्तर्गत हुए भौतिक 100,000 रुपये से अधिक
11.	उच्चतम शैक्षण अर्हता : (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यौरा दें)						

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग के की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख को सत्यापित किया।

८/८/२०१८ ५५०८

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए दे लिए कोई नहीं है तो, यथास्थिति 'शून्य', 'लागू नहीं होता' अथवा "झात नहीं" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

जानकारी